

UP010025172025



न्यायालय, जनपद न्यायाधीश, रामपुर।

उपस्थित- भानु देव शर्मा, (एच०जे०एस०)
सिविल अपील संख्या----51/2025
(रजि०नं०-----51/2025)

- 1- डम्बर सिंह,
- 2- रामभरोसे,
- 3- चन्द्रपाल पुत्रगण थान सिंह, निवासीगण मौहल्ला भीमापुरी, कस्बा व तहसील टाण्डा, जिला रामपुर।

.....अपीलार्थीगण/वादीगण।

बनाम

अजहर अली उर्फ अनवर अली पुत्र असगर अली, निवासी मौहल्ला भीमापुरी,
कस्बा व तहसील टाण्डा, जिला रामपुर।

.....प्रत्यर्थी/प्रतिवादी।

निर्णय

1- प्रस्तुत सिविल अपील विद्वान अवर न्यायालय सिविल जज(सी०डि०) द्वारा मूलवाद संख्या- 254/ 2019, डम्बर सिंह आदि बनाम डा०अनवर अली में वादीगण के विरुद्ध पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 25-04-2025 से क्षुब्ध होकर अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा योजित की गई है। प्रश्नगत निर्णय द्वारा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/वादी की ओर से योजित मूलवाद संख्या 254/2019 को निरस्त किया गया है।

वादपत्र एवं प्रतिवादपत्र

2- प्रस्तुत अपील के उदभूत तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलार्थीगण की ओर से मूलवाद सं० 254/2019 इन अभिकथनों के साथ योजित किया था कि वादीगण एक किता प्लाट जिसका नं०-2337 है जो नगर पालिका परिषद टाण्डा में

स्थित है, का आबंटी व काबिज आराजी है। उक्त प्लाट का इंद्राज नगर पालिका परिषद टाण्डा में चक नं०-19 वर्ष 2018-19 वादीगण के नाम दर्ज है। आबंटन की सत्य प्रतिलिपि वादीगण दावे के साथ दाखिल कर रहे हैं। उक्त प्लाट पर वादीगण निरन्तर काबिज चले आ रहे हैं। उक्त प्लाट वादीगण के दादा के नाम नगर पालिका परिषद टाण्डा में दर्ज था। उसके बाद उनके पुत्र के नाम आबंटित हो गया और वर्ष 2018-19 में वादीगण के नाम उक्त प्लाट नगर पालिका में दर्ज हो गया। दादा के समय से ही वादीगण उक्त प्लाट के आबंटी व काबिज आराजी चले आ रहे हैं। प्रतिवादी ने उक्त प्लाट के बराबर में जिसका नं०-2339/2 है व 2339/3 की आड़ में वादीगण के नं०-2337 पर नीचे खोदकर कब्जा करना चाहता है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी से कहा गया तुम्हारे प्लाट का नम्बर अलग है और हमारे प्लाट का नम्बर अलग है। लेकिन प्रतिवादी सुनवा नहीं हुआ और जानबूझकर वादीगण के नम्बर में निर्माण करने की चेष्टा कर रहा है। प्रतिवादी निहायत चालाक और भू-माफिया व्यक्ति है। लोगों की जगहों पर नाजायज कब्जा करता रहता है और बिना किसी विधिक अधिकार के लोगों की जमीनों पर अवैध कब्जा करके किसी अन्य को हस्तान्तरित कर देता है। प्रतिवादी को वादीगण ने अपने प्रलेख दिखाये और कहा कि तुम अपनी सम्पत्ति में निर्माण करो, मेरी सम्पत्ति से तुम्हारा कोई ताल्लुक या वास्ता नहीं है। परन्तु प्रतिवादी ताकत के बल पर वादीगण के प्लाट पर अनाधिकृत कब्जा करना चाहता है। यह कि प्लाट सं०-2337 का आबंटन नगर पालिका टाण्डा द्वारा वादीगण के पक्ष में किया गया है और वादीगण ही निरन्तर उक्त प्लाट पर काबिज चले आ रहे हैं तथा वादीगण नियमानुसार शुल्क भी नगर पालिका टाण्डा में प्लाट के संबंध में जमा कर रहे हैं, जो दावे के साथ दाखिल किया जायेगा। प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में है। सुविधा व तुला का भार भी वादीगण के पक्ष में है। प्रतिवादी भू-माफिया, ताकतवर व राजनैतिक प्रभाव वाला व्यक्ति है। वादीगण के मना करने पर झगड़े पर उतारू है और निरन्तर वादीगण को धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हारे प्लाट पर जबरन कब्जा कर लूंगा। प्रतिवादी द्वारा एक वाद सं०-226/2019 अजहर अली बनाम डम्बर सिंह आदि स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय सिविल जज (व०ख०) में दायर किया है, जिसमें न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के मकान 2330/3/2 के संबंध में स्टे आर्डर न्यायालय को अंधकार में रखकर पारित करा लिया है। जबकि प्रतिवादी मकान 2339/3/2 की आड़ में वादीगण के प्लाट 2337 पर नीचे खोदकर अनाधिकृत

कब्जा करना चाहता है। वादीगण ने इस संबंध में थाना टाण्डा में भी शिकायत करी परन्तु प्रतिवादी काफी प्रभाव वाला व राजनैतिक मामले का व्यक्ति है। पुलिस द्वारा भी कोई मदद वादीगण को नहीं मिली। मजबूरन न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करना पड़ रहा है। जिससे प्रतिवादी 2339/3/2 की आड़ में वादीगण के प्लाट 2337 पर लगातार हस्तक्षेप कर रहा है। वाद कारण दिनांक 30.9.2019 को व अन्तिम बार दिनांक 31.10.2019 को कस्बा टाण्डा, तहसील टाण्डा, जिला रामपुर में प्रतिवादी द्वारा वादीगण को ताकत के बल पर उक्त प्लाट से बेदखल करने व वादीगण के कब्जे में बेजा मदाखलत करने से उत्पन्न हुआ। न्यायालय को वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वाद का मूल्यांकन नगर पालिका परिषद टाण्डा द्वारा आबंटित किये गये प्लाट की बाजारू कीमत अंकन 5,50,000/-पर किया जाकर उस पर निर्धारित न्याय शुल्क 500/- अदा किया जाता है, जोकि पर्याप्त है। वादीगण निम्नलिखित अनुतोष पाने के अधिकारी है-यह कि डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण बखिलाफ प्रतिवादी इस अमर की जारी फरमाई जाये कि प्रतिवादी स्वयं या अपने कारकुनान, एजेन्टान, नौकरान, मजदूरान, रिश्तेदारान वादीगण की आबंटित प्लाट नं0-2337 चक नं0-19 में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप व कब्जा व मदाखलत न करे। वाद का खर्चा वादीगण को प्रतिवादी से दिलाया जाये। अन्य कोई अनुतोष जो वादीगण के हक में हों वह भी सादिर फरमाने की कृपा करें। विवरण चौहद्दी विवादित प्लाट-2337 चक नं0-19 स्थित कस्बा टाण्डा, तह० टाण्डा, जिला रामपुर। पूरब- मकान प्रतिवादी, पश्चिम- मकान वादीगण, उत्तर- सड़क व आम रास्ता, दक्षिण-मकान कढ़ीबाज।

3- प्रतिवादी द्वारा प्रतिवाद पत्र कागज सं० 22A1/1-3 प्रस्तुत कर वाद पत्र में अंकित वादीगण के कथनों का खण्डन किया। प्रतिवादी द्वारा अतिरिक्त कथन में कहा है कि वादीगण को कोई बिनाये दावा बखिलाफ प्रतिवादी पैरा व हासिल नहीं है। समस्त कथन बाबत पैदा होने बिनाये दावा बिल्कुल गलत, फर्जी व मनगढंत हैं। वादीगण हरगिज विवादित भूमि के मालिक व काबिज नहीं हैं और न ही वादीगण के पूर्वज कभी उसके मालिक व काबिज हुए। वादीगण की जगह विवादित भूमि के पश्चिम में स्थित है जिस पर उनका मकान बना हुआ है तथा उसका मकान नम्बर-2337 है। वास्तविकता यह है कि विवादित भूमि जिसका नम्बर 2339/3/2 है, के पूर्व स्वामी व काबिज ख्याली राम थे। ख्याली राम ने उक्त भूमि पंजीकृत विकय विलेख दिनांक

03.03.2010 द्वारा अमीर अहमद को अन्तरित कर दी और अमीर अहमद ने उक्त भूमि पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 01.04.2019 द्वारा प्रतिवादी उत्तरदाता को अन्तरित कर दी। इस तरह प्रतिवादी उत्तरदाता उक्त खरीदारी की दिनांक से विवादित भूमि का मालिक व काबिज चला आता है। प्रतिवादी उत्तरदाता ने विवादित भूमि खरीदने के बाद नगर पालिका परिषद टाण्डा से निर्माण हेतु नक्शा पास कराया जिसका स्वीकृत पत्र दिनांक 25.09.2019 को प्रतिवादी उत्तरदाता को जारी किया गया। प्रतिवादी उत्तरदाता के निर्माण करने में वादीगण ने हस्तक्षेप किया तब प्रतिवादी उत्तरदाता ने डम्बर सिंह आदि वादीगण के विरुद्ध निषेधाज्ञा वाद योजित किया और स्वीकृत तौर पर वादीगण के विरुद्ध दिनांक 01.10.2019 को अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश माननीय न्यायालय द्वारा सही तौर पर जारी कर दिया गया। वादीगण अब भी बराबर प्रतिवादी उत्तरदाता के कब्जे व इस्तेमाल व निर्माण में बाधाएँ उत्पन्न कर रहे हैं तथा अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश उपरोक्त को निष्फल करने हेतु साजिशी तौर पर प्रस्तुत वाद दायर कर दिया गया जिसका वास्तविकता से कोई वास्ता नहीं है। वादीगण ने जो प्रपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए हैं। यह विवादित भूमि से सम्बन्धित नहीं है। वादीगण ने राम सिंह द्वारा प्रतिवादी उत्तरदाता के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख दिनांक 31.10.2009 यह अपूर्ण है एवं वह विवादित आराजी के पूरब में स्थित जगह का है। जिस पर अब प्रतिवादी उत्तरदाता का मकान बना हुआ है। वादीगण का यहा कहना गलत है कि प्रतिवादी उत्तरदाता का सम्बन्ध भूमाफिया से हो तथा वह लोगो की जायदादों पर नाजयाज कब्जा करता हो। बाद पत्र के पैरे नं0 4 व 8 के कथन मिथ्या होने के साथ ही अपमानजनक व निन्दनीय है, तथा वाद पत्र से काटे जाने योग्य हैं। वादीगण तथा समस्त बस्ती के लोग विवादित भूमि पर प्रतिवादी उत्तरदाता का कब्जा व मिलकियत देखते व स्वीकार करते चले आते है। कभी किसी ने कोई आपत्ति नहीं करी। वाद विवन्ध तथा मौन स्वीकृति के सिद्धांत से बाधित है। वादीगण को कोई वाद कारण प्रतिवादी के विरुद्ध प्राप्त नहीं है। वाद आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी खारिज होने योग्य है। वाद काल बाधित है। वादपत्र में विवादित भूमि की चौहद्दी में दक्षिणी हद्द गलत दिखाई गई है। दक्षिण में मकान मुजिबउर्रहमान पुत्र अब्दुल अजीज का है। इसी प्रकार विवादित भूमि का नंबर भी 2337 गलत तहरीर है। विवादित भूमि का नंबर 2339/3/2 है। वाद सं० 226/2019 के पूर्ण निस्तारण तक प्रस्तुत वाद की कार्यवाही स्टे होने योग्य है। वादीगण का वाद पोषणीय न होने के

कारण सव्यय खण्डित होने योग्य है। अतः वादीगण का वाद सव्यय निरस्त किया जाए।

4- उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर दिनांक 15-11-2021 को निम्नांकित वाद बिन्दु विरचित किये गये:-

- (1)- क्या वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?
- (2)- क्या वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है?
- (3)- क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है?
- (4)- क्या प्रदत्त न्याय शुल्क अपर्याप्त है?
- (5)- क्या वादीगण के पक्ष में वाद कारण उत्पन्न हुआ है?
- (6)- क्या वादीगण का वाद विबंध एवं मौन स्वीकृति के सिद्धान्त से बाधित है?
- (7)- क्या वादीगण का वाद आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० के प्रावधानों से बाधित है?
- (8)- अन्य अनुतोष?

उभयपक्ष की ओर से विचारण में प्रस्तुत मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य

5- दौरान विचारण वाद वादीगण ने अपने केस के समर्थन में कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

6- वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नगर पालिका परिषद टाण्डा द्वारा निर्गत नकल शुल्क रसीद की कार्बन प्रति कागज सं० 11 ग 2, नकल रजिस्टर खाना किराया वर्ष 2018-19 कागज सं० 12 ग 2, फोटोकापी बयनामा दिनांकित 31-10-2009 कागज सं० 13 ग 2 दाखिल किये गये हैं।

7- प्रतिवादी की ओर से अपने प्रतिवादपत्र के समर्थन में कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

8- प्रतिवादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में मूल विक्रय पत्र दिनांकित 31-10-2009 कागज सं० 46 क 1, मूल शुद्धिपत्र (तितम्मा) कागज सं० 26-11-2019 कागज सं० 47 क 1 दाखिल किया है।

9- अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांकित 25-04-2025 विरुद्ध

अपीलार्थीगण/वादीगण को प्रस्तुत सिविल अपील द्वारा अधिक्षित किया गया है।

अपील के आधार

10- अपीलार्थीगण/वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील इन अभिकथनों के साथ योजित की गई है कि आदेश अवर न्यायालय खिलाफ कानून व खिलाफ वाक्या है और निरस्त होने योग्य है। अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य जिसमें भी मुख्यतः रेस्पोंडेन्ट द्वारा विक्रय पत्र जो कि कृष्णा देवी द्वारा रेस्पोंडेन्ट के पक्ष में किया गया है, पर अपना कोई निर्णय नहीं दिया और न ही रेस्पोंडेन्ट के पक्ष में रेस्पोंडेन्ट द्वारा जो विक्रय पत्रों की नकले प्रस्तुत की गयी है, उसमें लिखी चौहद्दी पर कोई ध्यान नहीं दिया और न ही निर्णय करते समय उक्त विक्रय पत्रों को देखा। इस प्रकार पत्रावली पर दाखिल साक्ष्यों का पूर्ण अवलोकन किये बिना ही आदेश कर दिया। अवर न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों पर भी अपना निर्णय लिखते समय कोई ध्यान नहीं दिया गया। दस्तावेजी साक्ष्यों को देखे बिना निर्णय पारित करना पूर्णतया कानून विरुद्ध है। अवर न्यायालय ने इस तथ्य पर भी कोई ध्यान नहीं दिया कि वादग्रस्त सम्पत्ति की लम्बाई चौड़ाई विक्रय पत्र में वर्णित लम्बाई चौड़ाई से मेल नहीं खाती। अवर न्यायालय ने इस सम्बन्ध में भी अपने निर्णय में कुछ ध्यान नहीं दिया कि जिस व्यक्ति ने वाद ग्रस्त सम्पत्ति का विक्रय पत्र रेस्पोंडेन्ट व अमीर अहमद के पक्ष में किया गया, वह व्यक्ति सम्पत्ति का किस प्रकार स्वामी था। अवर न्यायालय ने वादग्रस्त सम्पत्ति पर किसका कब्जा है इस सम्बन्ध में भी कोई निष्कर्ष अपने निर्णय में नहीं लिखा। बिना कब्जा पर निष्कर्ष दिये निषेधाज्ञा का आदेश पारित नहीं किया जा सकता। रेस्पोंडेन्ट द्वारा बिना घोषणा के अनुतोष के केवल निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है, जो न्यायालय द्वारा नहीं दिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश आदेश का पालन नहीं किया। अवर न्यायालय द्वारा वाद में अन्तिम बहस सुनने के बाद निर्णय की स्टेज पर एक वाद बिन्दु दिनांक 07.04.2025 को विरचित किया। क्या वाद पत्र के अभिकथनों के आधार पर वादी विवादित आराजी जिसका विवरण वाद पत्र के अन्त में दिया गया है, के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष पाने का अधिकारी है? " किन्तु वाद बिन्दु विरचित करने पर त्रुटि ठीक करने के उपरान्त वाद बिन्दु पर साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया और न ही दिनांक 07.04.2025 के पश्चात् अपीलार्थी को बहस करने का या उक्त नये वाद बिन्दु के

सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने का कोई मौका दिया। इस कारण भी आदेश अवर न्यायालय कानून विरुद्ध है। अवर न्यायालय द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति का स्वामी वादी है या नहीं, इस सम्बन्ध में भी कोई वाद बिन्दु न तो विरचित किया और न ही इस बिन्दु पर साक्ष्य का अवसर दिया। बिना स्वामी की घोषणा के केवल निषेधाज्ञा का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। अन्य भी अनेको कारणों से आदेश अवर न्यायालय निरस्त होने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर आदेश व डिक्री अवर न्यायालय निरस्त करते हुए दावा वादी/ रेस्पॉन्डेन्ट निरस्त फरमाया जाये।

11- प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की ओर से उक्त सिविल अपील पर कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई।

12- उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना। अभिलेख तथा तलबिदा पत्रावली का परिशीलन किया।

उभयपक्षों के तर्क

13- अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रश्नगत निर्णय/डिक्री दिनांकित 25-04-2025 विधि विरुद्ध एवं तथ्यों के विपरीत है। विचारण न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य पर ध्यान नहीं दिया है। प्रत्यर्थी की ओर से कृष्णा देवी द्वारा निष्पादित विक्रय-विलेख के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया है और न ही प्रत्यर्थी के पक्ष में पारित निर्णय में इस तथ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया कि विक्रय विलेखों में उल्लेखित चौहदियां प्रत्यर्थी की ओर से नहीं दर्शाई गई हैं। पत्रावली पर दाखिल साक्ष्यों का पूर्ण अवलोकन किए बिना ही निर्णय पारित किया गया है।

उनका यह भी तर्क है कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/वादी की ओर से समकेतिक वाद संख्या 254/2019 में दाखिल दस्तावेजी साक्ष्य का कोई संदर्भ नहीं लिया है। समकेतिक मूलवाद संख्या 254/20219 के वादी/अपीलार्थी के दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन किया बिना ही प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि प्रतिवादी/प्रत्यर्थी की सम्पत्ति की लम्बाई-चौड़ाई उसके पक्ष में विक्रय विलेख में उल्लेखित लम्बाई-चौड़ाईयों से मेल नहीं रखती है। इस आधार पर प्रत्यर्थी/प्रतिवादी का विवादग्रस्त सम्पत्ति का स्वामित्व साबित नहीं था। प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित विक्रय

विलेख कागज सं० 11A से स्पष्ट है कि इस विक्रय विलेख के निष्पादक अमीर अहमद ने सम्पत्ति विक्रय विलेख कागज सं० 12A के ख्यालीराम के माध्यम से क्रय की थी। उपरोक्त विक्रय विलेखों में दर्शायी भूमि की चौहददी मौके की चौहददी से भिन्न है।

उनका यह भी तर्क है कि विक्रय विलेख निष्पादन के उपरान्त प्रकीर्ण वाद योजित करके विक्रय विलेख में चौहददियां दर्शित की गई है। रजिस्ट्रार के समक्ष प्रकीर्ण वाद के माध्यम से विक्रय विलेख में अपीलार्थी/वादी का नाम सम्पत्ति के पश्चिम दिशा में अंकित कराया गया है।

उनका यह भी तर्क है कि प्रश्नगत निर्णय में इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि जिस व्यक्ति ने वादग्रस्त सम्पत्ति का विक्रय प्रत्यर्थी व अमीर अहमद के पक्ष में किया था, वह व्यक्ति विषयगत सम्पत्ति का किस प्रकार से स्वामी बना था।

उनका यह भी तर्क है कि मूलवाद में बहस सुनने के बाद निर्णय के स्तर पर वाद बिन्दु दिनांक 07-04-2025 को विरचित किया गया है। इस वाद बिन्दु पर कोई साक्ष्य नहीं लिया गया। इसलिए प्रश्नगत निर्णय विधि विरुद्ध है। अपीलार्थी विषयगत सम्पत्ति का स्वामी है अथवा नहीं।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी/वादी विषयगत सम्पत्ति का नगर पालिका परिषद टाण्डा, रामपुर में दर्ज अभिलेखों के आधार पर स्वामी एवं काबिज है। नगर पालिका अभिलेखों में वादी/अपीलार्थी का नाम दर्ज है। अपीलार्थी/वादी से पूर्व विषयगत सम्पत्ति पर उसके पूर्वजों का कब्जा व स्वामित्व था।

14- प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त तर्कों का विरोध किया और यह तर्क प्रस्तुत किया कि वादी/अपीलार्थी का विषयगत सम्पत्ति पर कोई स्वामित्व व कब्जा साबित नहीं है। विषयगत सम्पत्ति प्रतिवादी/प्रत्यर्थी की है। प्रत्यर्थी/प्रतिवादी विषयगत सम्पत्ति का स्वामी विक्रय विलेख के माध्यम से बना है। प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेखों पर कोई आपत्ति अपीलार्थी/वादी की ओर से प्रकट नहीं की है। विक्रय विलेख वर्तमान में किसी न्यायालय द्वारा शून्य घोषित नहीं कराए गए हैं।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी/वादी विषयगत सम्पत्ति पर केवल नगर पालिका के रजिस्ट्रारों में दर्ज प्रविष्टियों के आधार पर ही अपना कब्जा व स्वत्व साबित करना चाहता है। नगर पालिका अभिलेखों की प्रविष्टियां किसी भी सम्पत्ति पर

स्वामित्व व कब्जा साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है।

अपीलार्थी/वादी की इस तथ्य पर कोई इन्कार नहीं है कि अपीलार्थी/वादी भिन्न सम्पत्ति का स्वामी है। अपीलार्थी/वादी अपने स्वामित्व की सम्पत्ति की आड़ में प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की सम्पत्ति पर कब्जा करना चाहता है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी/वादी ने विषयगत सम्पत्ति पर अपने स्वामित्व को साबित करने के लिए कोई प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। केवल नगर पालिका के अभिलेख प्रस्तुत किए हैं। विषयगत सम्पत्ति पर अपीलार्थी/वादी का कोई स्वत्व व हक नहीं है।

उनका यह भी तर्क है कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ने कृष्णा देवी से जो सम्पत्ति क्रय की थी, वह सम्पत्ति अपीलार्थी/वादी की सम्पत्ति से भिन्न है। अमीन कमीशन की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि दोनों सम्पत्तियां पृथक-पृथक हैं। अपीलार्थी/वादी केवल अपने स्वामित्व की पृथक सम्पत्ति के आधार पर ही प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की सम्पत्ति पर कब्जा करना चाहता है। विषयगत सम्पत्ति पर अपीलार्थी/वादी का स्वामित्व साबित नहीं हुआ है।

अपीलार्थी/वादी ने विषयगत सम्पत्ति के संबंध में केवल स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। विषयगत सम्पत्ति के स्वामित्व की उदघोषणा का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया। इसलिए बिना स्वामित्व की उदघोषणा के अनुतोष के विषयगत सम्पत्ति पर कोई स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष नहीं दिया जा सकता।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी/वादी विषयगत सम्पत्ति को अपने कब्जे को साबित करने में पूर्णतः असफल रहे हैं। प्रश्नगत निर्णय पूर्णतः सही एवं साक्ष्य के आधार पर है। अतः अपील निरस्त की जाए।

प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में विधि व्यवस्था ANATHULA SUDHAKAR V/S P BUCHI REDDY 2008 AIR (SC)2033, MAI DAYAL V/S KHUSHI RAM 2001(2) LJR 256, बशीर अहमद (मृतक) विधिक प्रतिनिधियों द्वारा बनाम तैय्यब हुसैन(मृतक) विधिक प्रतिनिधियों द्वारा एवं अन्य, राजस्व निर्णय संग्रह 2013 (इलाहाबाद उच्च न्यायालय), RAFI BUX Vs. SMT HAMEEDAN 1973 R.D. 29, Gauhar Ali Vs. Municipal Corporation & Others.HIGH COURT OF CHHATTISGARH,BILASPUR प्रस्तुत

की गई।

निष्कर्ष

15- अपीलार्थीगण की ओर से अपील में लिए गए आधार एवं उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों के आलोक में इस न्यायालय के समक्ष निस्तारण हेतु विधि एवं तथ्य के प्रश्न यह हैं कि:-

- (i) क्या अपीलार्थी/वादी नक्शा वादपत्र में दर्शाई विषयगत सम्पत्ति का स्वत्व व कब्जाधारक होना साक्ष्य से साबित हुआ है?
- (ii) क्या विवादग्रस्त सम्पत्ति पर निष्पादन योग्य डिक्री पारित की जा सकती है ?
- (iii) क्या विचारण न्यायालय ने प्रश्नगत निर्णय/डिक्री के पारित करने में कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है ?

प्रश्न (i) का अवधारण

16- सिविल विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि वादी को ही अपना वाद साबित करना होता है। वह प्रतिवादी की किसी कमजोरी का लाभ नहीं उठा सकता। इसलिए अपीलार्थी/वादी का यह विधिक दायित्व है कि वह विवादित सम्पत्ति पर अपना स्वत्व व कब्जा स्पष्ट रूप से साबित करे।

17- अपीलार्थी/वादी की ओर से विषयगत सम्पत्ति पर अपना स्वत्व व कब्जा को दर्शित करने के लिए वादपत्र में यह अभिकथन किया है कि वादीगण एक कित्ता प्लॉट नंबर 2337 का आवंटी व काबिज आराजी है। यह नगर पालिका परिषद टाण्डा में स्थित है। उक्त प्लॉट का इन्द्राज नगर पालिका परिषद टाण्डा में चक नंबर 19 वर्ष 2018-2019 अपीलार्थी/वादीगण के नाम दर्ज है। उक्त प्लॉट पर अपीलार्थी/वादीगण निरन्तर काबिज चले आ रहे हैं। उक्त प्लॉट अपीलार्थी/वादीगण के दादा के नाम नगर पालिका टाण्डा में दर्ज था। उसके बाद उनके पुत्र के नाम आवंटित हो गया। वर्ष 2018-2019 में वादीगण के नाम उक्त प्लॉट नगर पालिका में दर्ज हो गया। दादा के समय से ही वादीगण उक्त प्लॉट के आवंटी व काबिज आराजी चले आ रहे हैं। प्रतिवादी/प्रत्यर्थी ने उक्त प्लॉट के बराबर में, जिसका नंबर 2339/2 है व 2339/3 की आड़ में वादीगण के नंबर 2337 पर नींव खोदकर कब्जा करना चाहता है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी/प्रत्यर्थी से अलग-अलग नंबर होने का कथन किया गया,

लेकिन प्रतिवादी/प्रत्यर्थी ने नहीं सुना और जानबूझ कर अपीलार्थीगण/वादीगण के नंबर पर निर्माण करने की चेष्टा कर रहे हैं। यह भी अभिकथन किया है कि प्लॉट नंबर 2337 का आवंटन नगर पालिका टाण्डा द्वारा अपीलार्थीगण/वादीगण के पक्ष में किया गया है। अपीलार्थीगण/वादीगण ही निरन्तर उक्त प्लॉट पर काबिज चले आ रहे हैं। नियमानुसार शुल्क भी नगर पालिका टाण्डा में प्लॉट के संबंध में जमा कर रहे हैं। प्रतिवादी मकान सं० 2339/3/2 की आड़ में अपीलार्थीगण/वादीगण के प्लॉट 2337 पर नींव खोदकर अनाधिकृत कब्जा करना चाहते हैं।

18- प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ने अपने प्रतिवादपत्र में वादपत्र के अभिकथनों का खण्डन करते हुये यह अभिकथन किया है कि अपीलार्थीगण/वादीगण हरगिज विवादित भूमि के मालिक व काबिज नहीं है। अपीलार्थीगण/वादीगण के पूर्वज कभी उसके मालिक व काबिज नहीं हुए। अपीलार्थीगण/वादीगण की जगह विवादित भूमि के पश्चिम में स्थित है। उस पर उनका मकान बना हुआ है तथा उसका मकान नंबर 2337 है। वास्तविकता यह है कि विवादित भूमि जिसका नंबर 2339/3/2 है, के पूर्व स्वामी व काबिज ख्यालीराम थे। ख्यालीराम ने उक्त भूमि पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांकित 03-03-2010 द्वारा अमीर अहमद को अंतरित कर दी और अमीर अहमद ने उक्त भूमि पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांकित 01-04-2019 द्वारा प्रत्यर्थी/प्रतिवादी को अंतरित कर दी। इस प्रकार प्रत्यर्थी/प्रतिवादी उक्त खरीददारी की दिनांक से विवादित भूमि का मालिक व काबिज चला आ रहा है। प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ने विवादित भूमि खरीदने के बाद नगरपालिका परिषद टाण्डा से निर्माण हेतु नक्शा पास कराया जिसका स्वीकृति पत्र दिनांक 25-09-2019 को प्रत्यर्थी/प्रतिवादी को जारी किया गया।

19- अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा नक्शा वादपत्र में दर्शायी विषयगत सम्पत्ति पर अपना स्वत्व व कब्जा साबित करने के लिए प्रलेखीय साक्ष्य में नकल रजिस्टर बन्दोवस्त 1939-40 टाउन एरिया टाण्डा स्टेट रामपुर मय हिन्दी अनुवाद की प्रति मय मूल (ऊर्दू कागज सं० 83-86 ग 2) दाखिल किया गया है।

20- इस मूलवाद संख्या 254/2019 डम्बर सिंह बनाम अनवर अली के संकेतिक मूलवाद संख्या 226/2019 अजहर अली उर्फ अनवर अली बनाम डम्बर सिंह आदि के प्रतिवादपत्र में इस मूलवाद के अपीलार्थीगण/वादीगण के खानदानी सिजरा में अपीलार्थी/वादीगण के पिता थान सिंह के पिता का नाम बालकिशन उल्लेखित किया है। नगर पालिका परिषद टाण्डा स्टेट रामपुर की हिन्दी अनुदित प्रलेखीय साक्ष्य

84C, 85C एवं 86C में नंबर मकान व मालिक मकान मय बल्दियत इस प्रकार अंकित है कि 84C में मकान नंबर 2338 के मकान मालिक के रूप में तोता बल्द शोभी अंकित है। कागज सं० 85C में मकान नंबर 2327 के मालिक के रूप में बहोरा बल्द राम, मकान नंबर 2327 के मालिक के रूप में बालकिशन बल्द बुद्धा अंकित है। मकान नंबर 2337 पर तोता बल्द सुबी अंकित है। मकान नंबर 2339/1 में मछेरा बल्द बुद्धा अंकित है। प्रलेखीय साक्ष्य 86C नकल रजिस्टर बन्दोवस्त 1939-40 टाउन एरिया टाण्डा स्टेट रामपुर में मकान नंबर 2337 के मालिक के रूप में बालकिशन पुत्र बुद्धा अंकित है। प्रलेखीय साक्ष्य कागज सं० 85C/1 व 86C/1 में मकान नंबर 2337 पर मकान मालिक व उनके बल्दियत में क्रमशः तोता पुत्र सुबी व बालकिशन पुत्र बुद्धा अंकित है। इस प्रकार अपीलार्थीगण/वादीगण की ओर से दाखिल उपरोक्त प्रलेखीय साक्ष्य में मकान नंबर 2337 पर मकान मालिक के रूप में दो व्यक्ति तोता पुत्र सुबी व बालकिशन पुत्र बुद्धा अंकित है। अतः उपरोक्त प्रलेखीय साक्ष्य से अपीलार्थी/वादीगण स्पष्ट रूप से यह साबित करने में असफल रहे हैं कि कथित मकान नंबर 2337 के एक मात्र स्वामी व काबिज उनके पिता थान सिंह के पिता अर्थात् अपीलार्थी/वादीगण के दादा बाल किशन ही थे।

21- माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि व्यवस्था **Civil Appeal No. 72/2011, P. Kishore Kumar Vs. Vittel K. Patkar Decided on 20-11-2023** में यह अवधारित किया है कि –Revenue Records Won't Confer Title; In Title Suit, Plaintiff Can't Succeed By Merely Pointing Out Lacunae In Defendant's Title.

22- उपरोक्त विधि व्यवस्था के आलोक में अपीलार्थी/वादी की ओर से मूलवाद संख्या 254/2019 में दाखिल प्रलेखीय साक्ष्य नगर पालिका परिषद टाण्डा के अभिलेखों में दर्ज प्रविष्टियों से अपीलार्थी/वादी का स्वामित्व व कब्जा साबित नहीं होता है।

23- प्रस्तुत मामले में अपीलार्थी/वादीगण विषयगत सम्पत्ति पर अपने स्वत्व को दाखिल किए गए प्रलेखीय साक्ष्य क्रमशः कागज सं० 84C लगायत 86C से साबित करने में असफल रहा है। इस तथ्य को भी साबित करने में असफल रहा है कि उपरोक्त विवादित सम्पत्ति की अपीलार्थी/वादीगण की ओर से नक्शा वादपत्र में दर्शायी चौहदियों के समान थी। नक्शा वादपत्र में विवादित सम्पत्ति की चौहददी पूरब-

मकान प्रतिवादी, पश्चिम-मकान वादीगण, उत्तर-सड़क व आम रास्ता, दक्षिण-मकान कड़ीबाज उल्लेखित है। अपीलार्थी/वादीगण की ओर से दाखिल प्रलेखीय साक्ष्य में बालकिशन को आवंटित मकान 2337 की चौहदियां वादपत्र की चौहदियों के अनुसार थी, इस तथ्य पर कोई साक्ष्य अपीलार्थी/वादीगण ने प्रस्तुत नहीं किया है।

24- यहाँ उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि अपीलार्थी/वादीगण की ओर से दाखिल प्रलेखीय साक्ष्य में बालकिशन को नगर पालिका परिषद टाण्डा की ओर से उल्लेखित मकान का आवंटी होना दर्शाया है। इस आवंटन के आधार पर बालकिशन को विषयगत सम्पत्ति पर कोई स्वत्व प्राप्त होना साबित नहीं होता है और तदोपरान्त इसी क्रम में अपीलार्थी/वादीगण का भी नगर पालिका परिषद की ओर से दर्शाये गये इस आवंटन के आधार पर कोई विधितः कोई स्वामित्व प्राप्त होना साबित नहीं होता है।

25- अतः पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख व साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन उपरान्त यह निष्कर्षित होता है कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख से प्रत्यर्थी/प्रतिवादी उसी सम्पत्ति का स्वामी व कब्जाधारक है। अपीलार्थी/वादीगण विषयगत सम्पत्ति पर अपना स्वत्व व कब्जा साबित करने में असफल रहा है।

26- अतः पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य व अभिलेख के उपरोक्त विवेचन उपरान्त यह निष्कर्षित होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने वाद बिन्दु सं० 1 में निम्नलिखित उल्लेखित निष्कर्ष में कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं कि-

" प्लॉट सं० 2337 में प्रतिवादीगण के दादा का जो मकान था, वह दस वर्ष पूर्व गिर गया था। जिसके बाद मौके पर प्रतिवादीगण का मलबा रखा हुआ है तथा वादी इसी खाली भूमि पर निर्माण कराना चाहता है। ऐसे में प्रतिवादीगण पर इस तथ्य को साबित करने का भार है कि विवादित भूमि प्लॉट सं० 2337 का भाग है, क्योंकि वादी के पक्ष में विक्रीत सम्पत्ति की चौहददी में पश्चिम की तरफ प्रतिवादीगण का मकान होना दर्शाया गया है तथा वादी के पूर्वहितधारी अमीर अहमद के पक्ष में निष्पादित बयनामा, जो वर्ष 2010 में निष्पादित किया गया है, उसमें भी विक्रीत सम्पत्ति की चौहददी में पश्चिम तरफ प्रतिवादीगण के पिता थान सिंह का मकान होना दर्शाया गया है। अतः स्पष्ट है कि जब ख्यालीराम द्वारा अमीर अहमद के पक्ष में बयनामा निष्पादित किया गया था, उस

समय प्रतिवादीगण का मकान मौके पर मौजूद था। प्रतिवादीगण स्वयं को थान सिंह के मकान पर ही काबिज होना बताते हैं, जिसे ख्यालीराम द्वारा निष्पादित बयनामे में विक्रीत आराजी के सटे पश्चिम स्थित होना दर्शाया गया है। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि किस प्रकार प्रतिवादीगण विवादित भूमि को थान सिंह की सम्पत्ति होने का कथन कर रहे हैं।

अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा बयनामा दिनांकित 01-04-2019 को निरस्त कराने अथवा अवैध व शून्य घोषित किये जाने हेतु कोई अनुतोष नहीं मांगा गया है और न ही इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। ऐसे में बयनामा दिनांकित 01-04-2019 के अस्तित्व में रहते हुए अपीलार्थीगण/वादीगण को विवादित संपत्ति पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा तथा वे विवादित भूमि के संबंध में प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।”

27- अपीलार्थी/वादीगण का मात्र यह अभिकथन उनका विवादित सम्पत्ति पर स्वत्व व कब्जा साबित नहीं करता है कि उनके दादा के स्वामित्व का मकान 10 वर्ष पूर्व गिर गया था और उस पर मलबा रखा हुआ है। किसी सम्पत्ति पर मलबा रखा हुआ। मलबे के स्वामी का सम्पत्ति पर स्वामित्व व कब्जा साबित नहीं करता है। स्वामित्व व कब्जे को साबित करने के लिए ऐसा अभिकथन करने वाले पक्षकार को साक्ष्य से ही इस तथ्य को साबित करने का विधिक दायित्व है। इस मामले में अपीलार्थी/वादीगण विषयगत सम्पत्ति पर अपना स्वामित्व व कब्जा साबित करने में पूर्णतः असफल रहे हैं। दूसरी ओर प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ने विषयगत सम्पत्ति पर अपना स्वामित्व व कब्जा प्रलेखीय व मौखिक साक्ष्य से साबित किया है।

प्रश्न (ii) एवं (iii)का अवधारण

28- प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की ओर से अपने प्रतिवादपत्र में यह अभिकथन किया है कि वादी एक किता आराजी चक नंबर 19 मकान सं० 2339/3/2 रकबा 76.94 वर्ग गज अर्थात् 64.32 वर्गमीटर स्थित मौहल्ला भीमापुरी, कस्बा व तहसील टाण्डा, जिला रामपुर का मालिक व काबिज है। उक्त आराजी प्रतिवादी ने उसके पूर्व मालिक अमीर अहमद पुत्र हाजी अब्दुल्ला से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र खरीदी है, जो अमीर अहमद

पुत्र हाजी अब्दुल्ला ने ख्यालीराम पुत्र रूपचन्द्र से दिनांक 03-03-2010 को पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से खरीदी थी। प्रतिवादी ने उक्त आराजी खरीदने के बाद उस पर निर्माण हेतु नगर पालिका परिषद, टाण्डा से नक्शा पास कराया, जिसका स्वीकृत पत्र नगर पालिका द्वारा दिनांक 25-09-2019 को प्रत्यर्थी/प्रतिवादी को जारी किया गया।

29- अपीलार्थी/वादीगण की ओर से अपने प्रतिवादपत्र में यह अभिकथन किया है कि वादी चक सं० 19 मकान सं० 2339/3/2 रकबा 76.94 वर्गगज 64.32 वर्गमीटर की आड़ में प्रतिवादीगण के प्लॉट सं० 2337 में निर्माण करना चाहता है। वादीगण का प्लॉट सं० 2337 में वादीगण निरन्तर काबिज चला आ रहा है। उक्त प्लॉट अपीलार्थीगण/वादीगण के दादा के नाम नगर पालिका परिषद, टाण्डा में दर्ज है तथा उनके बाद अपीलार्थी/वादीगण का नाम उक्त प्लॉट नगर पालिका में दर्ज हो गया। प्लॉट सं० 2337 के वास्तविक स्वामी अपीलार्थी/वादीगण के दादा बालकिशन थे, जिनका मकान सं० 490 वर्गफुट भूमि, जिसके पूरब- मकान ख्यालीराम, पश्चिम- शराफत मकान, उत्तर- सड़क, दक्षिण- मकान कड़ीबाज था। इस मकान में बालकिशन जीवनपर्यन्त रहे तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त थानसिंह मकान में अपने परिवार सहित निवास करते रहे। थान सिंह की मृत्यु करीब 14-15 साल पूर्व हो चुकी है। वादीगण थान सिंह के पुत्र हैं, जो कि थान सिंह की संपत्ति पर काबिज हैं।

30- अपीलार्थी/वादी की ओर से दाखिल प्रलेखीय साक्ष्य कागज सं० 85C/1 व कागज सं० 86C/1 में मकान नंबर 2337 पर मकान मालिक के रूप में तोता पुत्र सुबी व बालकिशन पुत्र बुद्धा का नाम अंकित है। उपरोक्त प्रलेखीय साक्ष्य से अपीलार्थी/वादी यह साबित करने में असफल रहा है कि मकान नंबर 2337 रकबा 490 फिट के एक मात्र स्वामी व काबिज हैं।

31- अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी/वादी की ओर से विषयगत सम्पत्ति के सम्पूर्ण विवरण का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। सम्पत्ति के इस विवरण में ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं है कि विषयगत सम्पत्ति पर पारित डिक्री का निष्पादन संभव हो। विषयगत सम्पत्ति की स्पष्ट माप न होने के कारण वादी के पक्ष में निष्पादन योग्य डिक्री पारित किया गया संभव नहीं है।

32- प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क था कि वादी/अपीलार्थी ने विषयगत सम्पत्ति पर स्वत्व की उदघोषणा हेतु कोई अनुतोष नहीं चाहा

है। इसलिए बिना स्वत्व की उदघोषणा के केवल स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पोषणीय नहीं है और इस आधार पर स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रत्यर्थी/वादी के पक्ष में पारित नहीं की जा सकती।

33- उपरोक्त तर्क के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख व साक्ष्य का परिशीलन किया।

34- प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की ओर से विषयगत सम्पत्ति का स्वत्व साबित करने के लिए नगर पालिका परिषद में प्रविष्टियों की सत्यापित प्रति दाखिल की है। उक्त प्रतियों से विषयगत सम्पत्ति पर अपीलार्थी/वादी का स्वामित्व व कब्जा साबित नहीं होता है। अपीलार्थी/वादी के लिए यह आवश्यक था कि वह नगर पालिका अभिलेखों के आधार पर उक्त सम्पत्ति पर अपने स्वत्व की उदघोषणा के अनुतोष की भी वांछा न्यायालय से करता। इसलिए अपीलार्थी/वादी का केवल स्थाई निषेधाज्ञा का वाद डिक्री किए जाने योग्य नहीं है।

35- इस मामले में अपीलार्थी/वादी ने विषयगत सम्पत्ति पर अपना स्वामित्व व कब्जा विक्रय विलेख एवं मौखिक साक्ष्य से साबित नहीं हुआ है और नगर पालिका अभिलेखों में प्रविष्टियों का सम्पत्ति पर स्वामित्व व कब्जा साबित नहीं हुआ है।

36- पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख एवं साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन उपरान्त यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मूलवाद संख्या 254/2019 डम्बर सिंह आदि बनाम अजहर अली आदि निर्णय दिनांकित 25-04-2025 को निरस्त करने में कोई विधिक व तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 25-04-2025 पुष्ट किए जाने योग्य है।

37- तदनुसार सिविल अपील संख्या 51/2025 डम्बर सिंह आदि बनाम अजहर अली उर्फ अनवर अली निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत सिविल अपील संख्या 51/2025 डम्बर सिंह आदि बनाम अजहर अली उर्फ अनवर अली निरस्त की जाती है। मूल वाद संख्या-254/2019, डम्बर सिंह आदि बनाम अजहर अली उर्फ अनवर अली में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांकित 25-04-2025 पुष्ट किया जाता है।

उभय पक्ष अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

दिनांक: 18-04-2026

(भानु देव शर्मा)

जनपद न्यायाधीश
रामपुर।

J.O.Code-UP6545

आज यह निर्णय व आदेश खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम्
दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

दिनांक: 18-04-2026

(भानु देव शर्मा)

जनपद न्यायाधीश
रामपुर।

J.O.Code-UP6545